

विशेषजन सशक्तिकरण

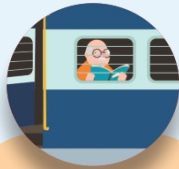
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के तहत विशेषजन के लिए प्रत्येक संस्थान में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गये हैं।

असुविधाओं के कारण विशेषजनों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

भारतीय रेलवे में सफर करने वाले विशेषजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं



ट्रेनों में आरक्षित शयनयान डिब्बे में चार बर्थों का आरक्षण



एक सहायक के रूप में जाने वाले व्यक्ति को बर्थ आवंटित



कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में निचली बर्थ आवंटित करने के लिए सुविधा



सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में अनरिजर्वड कोच चिह्नित करना



यात्री आरक्षण व्यवस्था में पृथक से काउंटर



किराए में रियायत



व्हील चेयर की सुविधा



सामान लाने व ले जाने हेतु बैटरी से चलने वाली कार की सुविधा



स्टेशनों पर लगे एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों में से 25 प्रतिशत बूथ आरक्षित



आर.पी.एफ. के जवान मदद के लिए उपलब्ध

विकलांगजन को सहार दीजिये
विकलांगजन का जीवन सवारिये

समाज में लानी होगी जागृति
विकलांगजन सशक्तिकरण को दीजिये गति

जनहित में जारी:

हेल्प लाईन नं.
15100
9928900900

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website
www.rlsa.gov.in